भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 3864
मंगलवार, 12 अगस्त, 2025/21 श्रावण,1947 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण

+3864. श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिलः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए हाल ही में कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हाँ, तो सहकारी समितियों को प्रदान की गई वित्तीय या संस्थागत सहायता सहित ऐसी पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का सहकारी समितियों के कामकाज में पारदर्शिता, दक्षता और स्वायत्तता बढ़ाने के लिए सुधार लागू करने का विचार है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे सुधारों के लिए प्रस्तावित समय-सीमा और रूपरेखा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख): जी हां, मान्यवर । सहकारिता मंत्रालय ने दिनांक 6 जुलाई, 2021 को अपनी स्थापना के बाद से "सहकार-से-समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने और ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों सहित प्राथमिक से लेकर शीर्ष स्तर तक में सहकारी आंदोलन को सशक्त और सघन करने के लिए बहुआयामी पहलें की हैं जिनका ब्योरा **संलग्नक - 'क'** में दिया गया है ।

(ग) और (घ): सुधार एक सतत प्रक्रिया है । देश भर में सहकारी समितियों के कामकाज में पारदर्शिता**,** दक्षता और स्वायत्तता बढ़ाने के लिए हाल ही में **राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025** लॉन्च की गई है जो सहकारी क्षेत्र के क्रमिक और सर्वांगीण विकास का एक रोडमैप प्रदान करती है ।

*****

संलग्नक - 'क'

सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई प्रमुख पहलों की प्रगति

सहकारिता मंत्रालय ने दिनांक 6 जुलाई, 2021 को अपनी स्थापना के बाद से,देश में"सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने और प्राथमिक से लेकर शीर्ष स्तर की सहकारी समितियों में सहकारी आंदोलन को सशक्त और मजबूत करने के लिए अनेक पहलें की हैं । इन पहलों की सूची और इनकी अब तक हुई प्रगति निम्नानुसार है:

क. प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से जीवंत और पारदर्शी बनाना

1. **पैक्स को बहुउद्देशीय, बहुआयामी तथा पारदर्शी संस्था बनाने के लिए आदर्श (मॉडल) उपविधियां**: सरकार ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, राष्ट्रीय स्तर के संघों, राज्य सहकारी बैंकों (StCBs), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs), आदि सहित सभी हितधारकों के परामर्श से पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां तैयार कर सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को परिचालित किया है, जो पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने, शासन में सुधार लाने, अपने प्रचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने हेतु सक्षम बनाते हैं । महिलाओं और अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए पैक्स की सदस्यता को अधिक समावेशी एवं व्यापक बनाने के भी उपबंध किए गए हैं । अब तक 32राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा आदर्श उपविधियां अपनाई गई हैं या उनकी मौजूदा उपविधियां, आदर्श उपविधियों के अनुरूप हैं ।

2. **कंप्यूटरीकरण द्वारा पैक्स का सशक्तीकरण:** पैक्स को सशक्त करने के लिए 2925.39 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसमें देश के सभी कार्यशील पैक्स को कॉमन ERP आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना शामिल है । इस परियोजना के अधीन 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कुल 73,492 पैक्स अनुमोदित किए गए हैं । कुल 59,920 पैक्स को ERP पर ऑनबोर्ड कर लिया गया है और 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा हार्डवेयर की खरीद कर ली गई है ।

3. **सभी पंचायतों को आच्छादित करने के लिए नए बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना:** भारत सरकार ने आगामी पांच वर्षों में देश के सभी पंचायतों और गांवों को आच्छादित करने के लक्ष्य से नए बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना को अनुमोदित किया है । यह पहल नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों द्वारा समर्थित है । राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार दिनांक 15.02.2023 को इस योजना के अनुमोदन के बाद से दिनांक 30.06.2025 तक, देश में कुल 22,606 नए पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियां पंजीकृत किए गए हैं ।

4. **सभी पंचायतों को आच्छादित करने के लिए नए बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना हेतु मार्गदर्शिका/मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) का विमोचन:** योजना के प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने NABARD, NDDB और NFDB के समन्वय से दिनांक 19.09.2024 को एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (मार्गदर्शिका) जारी की है जिसमें सभी संबंधित हितधारकों के लिए लक्ष्य और समय-सीमा दर्शायी गई है ।

5. **सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना:** सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME), आदि सहित भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से पैक्स स्तर पर अन्न भंडारण के लिए गोदामों, कस्टम हायरिंग केंद्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों तथा अन्य कृषि-अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु परियोजना अनुमोदित की है । इससे खाद्यान्न की बर्बादी तथा परिवहन लागत में कमी आएगी, किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत प्राप्त हो सकेगी एवं पैक्स स्तर पर ही विभिन्न कृषि आवश्यकताएं पूरी हो सकेगीं । पायलट परियोजना के अधीन 11 राज्यों के 11 पैक्स में गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । इसके अलावा, पायलट परियोजना का विस्तार करते हुए देशभर में 500 से अधिक PACS को सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अधीन गोदामों के निर्माण हेतु चिह्नित किया गया है ।

   वर्तमान में 147 पैक्स में निर्मित होने वाले गोदामों को राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, NAFED तथा NCCF द्वारा किराया आश्वासन दिया गया है तथा 103 पैक्स में निर्माण कार्य आरंभ हो गया है ।

6. **सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की मार्गदर्शिका/मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) का विमोचन:** इस योजना का सुचारु एवं एकरूप कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) – "*मार्गदर्शिका*" तैयार कर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ साझा किया गया है । इस मार्गदर्शिका में योजना के अधीन विभिन्न समितियों का गठन, अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC) में लिए गए निर्णय, योजना के अधीन अभिसरण की गई विभिन्न योजनाओं का परिचय एवं उनके लाभ, आवेदन प्रक्रिया, चरणबद्ध कार्यान्वयन हेतु परियोजना फ्लो-चार्ट, अनुमानित परिणाम और निर्धारित समय-सीमा, सहकारिता मंत्रालय और अन्य हितधारकों की भूमिकाएं व जिम्मेदारियां, गोदाम निर्माण हेतु भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (WDRA) के दिशानिर्देश, योजना के अधीन PACS चयन के मानदंड शामिल हैं ।

7. **सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के संबंध में AMI योजना के अधीन किए गए संशोधन:** सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के द्वितीय IMC बैठक, जो दिनांक 23.10.2024 को आयोजित हुई थी, में लिए गए निर्णयों के आधार पर कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा AMI योजना में निम्नलिखित संशोधन किए गए:

   - योजना की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए मार्जिन धनराशि की आवश्यकता को 20% से घटाकर 10% किया गया ।

- निर्माण लागत को संशोधित करके मैदानी क्षेत्रों में ₹3000–3500/मीट्रिक टन से बढ़ाकर ₹7000/मीट्रिक टन तथा पूर्वोत्तर राज्यों में ₹4000/मीट्रिक टन से बढ़ाकर ₹8000/मीट्रिक टन किया गया ।

- सब्सिडी को 25% से बढ़ाकर 33.33% किया गया (मैदानी क्षेत्रों में ₹875/मीट्रिक टन से बढ़ाकर ₹2333/ मीट्रिक टन तथा पूर्वोत्तर राज्यों में ₹1333.33/ मीट्रिक टन से बढ़ाकर ₹2666/ मीट्रिक टन किया गया)।

- PACS के लिए आंतरिक सड़क, तौल पुल, चाहरदीवारी, आदि सहायक अवसंरचना पर कुल अनुमत सब्सिडी का 1/3 अतिरिक्त सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया ।

8. सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अधीन FCI द्वारा गोदामों की पहचान एवं किराया आश्वासन से संबंधित प्रगति:

दिनांक 02.06.2025 को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर FCI को पैक्स की पहचान करने, किराया आश्वासन प्रदान करने तथा इन गोदामों का वार्षिक किराये पर उपयोग सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है जिस संबंध में अब तक निम्नलिखित प्रगति हुई है:

- प्रथम चरण में, FCI ने 2500 मीट्रिक टन एवं उससे अधिक (पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1671 मीट्रिक टन एवं उससे अधिक) की क्षमता के गोदामों को किराये पर लेने के लिए 216 संभावित स्थानों की पहचान की है ।

- FCI द्वारा 18 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के इन 216 संभावित स्थानों में लगभग 26.03 लाख मीट्रिक टन भंडारण आवश्यकता का आकलन किया गया है ।

9. ई-सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए कॉमन सेवा केंद्र (CSC) के रूप में पैक्स: पैक्स के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अद्यतन, स्वास्थ्य सेवाएं, पैन कार्ड तथा आईआरसीटीसी/बस/हवाई टिकट, आदि जैसी 300 से भी अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रोनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड तथा CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है । अब तक 47,918 पैक्स ने ग्रामीण जनता को CSC सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है।

10. पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की स्थापना: 10,000 किसान उत्पादक संगठन (FPOs) की स्थापना और संवर्धन की केंद्रीय क्षेत्रक योजना के अधीन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा NCDC को सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन FPOs की स्थापना और संवर्धन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है । इस योजना के अधीन कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा NCDC को 746 FPOs की स्थापना और संवर्धन का लक्ष्य सौंपा गया था जिसे NCDC ने सहकारी क्षेत्र में 746 FPOs का पंजीकरण करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया ।

तत्पश्चात, इस योजना के अधीन पैक्स के सशक्तीकरण के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में FPOs की स्थापना और संवर्धन के लिए सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की पहल पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा NCDC को किसान उत्पादक संगठन (FPOs) की स्थापना के अतिरिक्त लक्ष्य सौंपे गए और उसे 1117 FPOs का लक्ष्य दिया गया । NCDC ने PACS के सदस्यों के माध्यम से 1117 FPOs को पंजीकृत/ऑनबोर्ड कर इस लक्ष्य को प्राप्त किया । यह किसानों को आवश्यक बाजार लिंकेज प्रदान करने और उनके उत्पादों का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाने में सहायक होगा ।

NCDC ने इस योजना के अधीन FPOs/CBBOs को ₹179 करोड़ संवितरित किए हैं।

11. **खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के लिए पैक्स को प्राथमिकता:** सरकार ने पैक्स को खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के आबंटन के लिए कंबाइंड कैटेगरी 2 (CC-2) में शामिल करने की अनुमति प्रदान कर दी है । तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा साझा की गई सूचना के अनुसार, 27 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 393 पैक्स ने खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है ।

12. **पैक्स को थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंप को खुदरा आउटलेट में परिवर्तित करने हेतु अनुमति:** मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंस प्राप्त पैक्स को तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा खुदरा आउटलेट में परिवर्तित होने के लिए वन-टाइम विकल्प दिया गया है । OMCs द्वारा साझा की गई सूचना के अनुसार 5 राज्यों के 117 थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंप लाइसेंस प्राप्त पैक्स ने खुदरा आउटलेट में परिवर्तित होने की सहमति दी है जिसमें से 59 पैक्स को इस संबंध में OMCs द्वारा अनुमति प्रदान की गई है ।

13. **पैक्स द्वारा अपने कार्यकलापों में विविधता लाने के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की पात्रता:** सरकार ने अब पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु आवेदन करने की अनुमति प्रदान कर दी है । इससे पैक्स को अपने आर्थिक कार्यकलाप को बढ़ाने और अपनी आय प्रवाह के विविधीकरण का एक विकल्प प्राप्त होगा । अब तक झारखंड राज्य से 2 पैक्स ने CC कैटगरी के तहत एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप के लिए आवेदन दिया है ।

14. **ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक औषधियों तक सुगम पहुंच हेतु प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स**: सरकार द्वारा पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (PMBJK) के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है, जिससे उन्हें आय के अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होंगे और ग्रामीण जनता को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक औषधियों तक सुगम पहुँच सुनिश्चित होगी । अब तक 4,118 पैक्स/सहकारी समितियों ने PMBJK के रूप में कार्य करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है जिसमें से 4,108 पैक्स को फार्माश्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवासेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) द्वारा प्रारंभिक मंजूरी दी गई है और 762 PACS को PMBI से स्टोर कोड मिल गए हैं जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं ।

15. **प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के रूप में पैक्स:** देश में किसानों को उर्वरक और अन्य संबंधित सेवाएं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने हेतु पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र

(PMKSK) चलाने के लिए सक्षम किया गया है । उर्वरक विभाग (भारत सरकार) और राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा साझा की गई सूचना के अनुसार 36,592 पैक्स PMKSK के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

16. **पैक्स द्वारा ग्रामीण नल जलापूर्ति योजनाओं (PWS) का प्रचालन और रखरखाव (O&M) कार्य:** पैक्स को ग्रामीण क्षेत्रों में नल जलापूर्ति योजनाओं के प्रचालन व रख-रखाव (O&M) कार्य करने के लिए पात्र बनाया गया है । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार 8 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा पंचायत/गांव के स्तर पर प्रचालन व रख-रखाव (O&M) सेवाएं प्रदान करने हेतु 539 पैक्स चिह्नित/चयनित किए गए हैं ।

17. **पैक्स के स्तर पर PM-KUSUM का अभिसरण:** पैक्स से जुड़े किसान सौर कृषि जल पंप अपना सकते हैं और अपने खेतों में फोटोवोल्टेक मॉड्यूल इंस्टॉल करा सकते हैं ।

18. **प्रधानमंत्री सूर्य घर– मुफ्त बिजली योजना (PMSG–MBY) का सहकारी समितियों के स्तर पर अभिसरण:** यह पहल सहकारी समितियों की व्यापक जमीनी पहुंच का लाभ उठाते हुए स्वच्छ रूफटॉप सौर ऊर्जा को अपनाने के उद्देश्य से की गई। इस पहल के केंद्रित कार्यान्वयन के लिए 100 नगरों का चयन किया गया है ।

19. **डोर-स्टेप वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक मित्र सहकारी समितियों को माइक्रो-एटीएम:** डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों को जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) के बैंक मित्र बनाए जा सकते हैं । सुगम व्यवसाय, पारदर्शिता और वित्तीय समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड के सहयोग से इन बैंक मित्र सहकारी समितियों को "डोर-स्टेप वित्तीय सेवाएं" प्रदान करने के लिए माइक्रो-एटीएम दिए जा रहे हैं। इस पहल के सफल कार्यान्वयन के लिए दिनांक 19 सितंबर, 2024 को मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) लॉन्च की गई है । अब तक गुजरात राज्य में बैंक मित्र सहकारी सहकारी समितियों को 9,723 माइक्रो एटीम वितरित किए गए हैं ।

20. **दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड:** जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) की पहुंच का विस्तार करने तथा डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को आवश्यक लिक्विडिटी प्रदान करने और तुलनात्मक रूप से निम्नतर ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने तथा अन्य वित्तीय लेनदेनों में सक्षम बनाने हेतु सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (KCCs) का वितरण किया जा रहा है । इस पहल के सफल कार्यान्वयन के लिए दिनांक 19 सितंबर, 2024 को मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) लॉन्च की गई है । अब तक, गुजरात राज्य में 8,59,487 रुपे किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं ।

21. **मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (FFPO) की स्थापना**: मछुआरों को बाजार लिंकेज तथा प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने हेतु एन.सी.डी.सी NCDC ने प्रारंभिक चरण में 70 FFPOs का पंजीकरण किया है । इसके अतिरिक्त मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने 280.65 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय से NCDC को 1000 मौजूदा मात्स्यिकी सहकारी समितियों को FFPOs

के रूप में परिवर्तित करने का कार्य सौंपा है । राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 1000 प्राथमिक मात्स्यिकी सहकारी समितियों को चिह्नित किया है जिन्हें 280.65 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय से FFPOs के रूप में सशक्त किया जाएगा । चयनित समितियों के लिए CBBOs द्वारा व्यवसाय योजना तैयार की जा रही है ।

NCDC ने योजना के अधीन FPOs/CBBOs को ₹81 करोड़ संवितरित किए हैं ।

22. **श्वेत क्रांति 2.0:** सहकारिता मंत्रालय ने "अगले पांच वर्षों में अनाच्छादित क्षेत्रों में डेयरी किसानों को बाजार पहुंच प्रदान करके और संगठित क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों की हिस्सेदारी को बढ़ाकर डेयरी सहकारी समितियों के दुग्ध प्रापण को वर्तमान स्तर से 50% तक बढ़ाने" के उद्देश्य से सहकारिता आधारित "श्वेत क्रांति 2.0" नामक एक पहल लॉन्च की है जिसका लक्ष्य सहकारी पहुंच का विस्तार करना, रोजगार सृजन करना और महिलाओं को सशक्त बनाना है । माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री की उपस्थिति में दिनांक 19.09.2024 को श्वेत क्रांति 2.0 की "मार्गदर्शिका" (SOP) लॉन्च की गई । माननीय गृह और सहकारी मंत्री ने माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री की उपस्थिति में दिनांक 25.12.2024 को 6,600 नवस्थापित सहकारी डेयरी समितियों (DCSs) का उद्घाटन किया । अब तक 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 15,096 सहकारी दुग्ध समितियां (DCSs) पंजीकृत हो गई हैं ।

23. **आत्मनिर्भरता अभियान:** सहकारिता मंत्रालय ने आयात निर्भरता घटाने के लिए दलहन (तुअर, मसूर और उड़द) के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (EBP) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एथेनॉल के उत्पादन के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (NCCF) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (NAFED) के माध्यम से मक्के के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की पहल शुरू की है । दोनों ने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों के पंजीकरण के लिए क्रमशः e-samyukti और e-samridhi वेब पोर्टल का विकास किया है । दोनों ने तुअर, उड़द, मसूर और मक्का के पूर्व-पंजीकृत किसानों के 100% उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद का आश्वासन दिया है । तथापि, बाजार मूल्य का न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होने पर किसानों को उच्चतर लाभ हेतु अपने उपज को खुले बाजारों में बेचने की आजादी होगी । कुल 41,40,566 किसान NCCF के क्रमशः e-samyukti पोर्टल पर पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं । इसी प्रकार 11,02,573 किसानों ने NAFED के e-samridhi पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है ।

ख. <u>सहकारी बैंकों का सशक्तीकरण</u>

24. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को व्यापार विस्तारण हेतु नई शाखाएं खोलने की अनुमति:** शहरी सहकारी बैंक (UCBs) अब आरबीआई की पूर्वानुमति के बिना पिछले वित्तीय वर्ष में मौजूदा शाखाओं की संख्या का 10% (अधिकतम 5) तक नई शाखाएँ खोलने हेतु पात्र हो गए हैं ।

25. **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को अपने ग्राहकों को डोर-स्टेप सेवाएं प्रदान करने की अनुमति:** शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अब डोर-स्टेप बैंकिंग सुविधा प्रदान

की जा सकती है । इन बैंकों के खाताधारक अब अपने घर पर ही विभिन्न बैंकिंग सुविधाएं जैसे नकद निकासी एवं नकद जमा, केवाईसी, डिमांड ड्राफ्ट और पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र, आदि का लाभ प्राप्त कर पाने को सक्षम हैं ।

26. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को शामिल करने हेतु शेड्यूलिंग मानदंडों की अधिसूचना:** शहरी सहकारी बैंक जो 'वित्तीय सुदृढ़ और सुप्रबंधित' (FSWM) मानदंडों को पूरा करते हैं तथा पिछले दो वर्षों से टियर 3 (1000 करोड़ से ऊपर की जमा राशि) के रूप में वर्गीकरण हेतु आवश्यक न्यूनतम जमा राशि बरकरार रखे हुए हैं, अब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 की अनुसूची II में शामिल होने के लिए पात्र हैं तथा 'अनुसूचित' का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं ।

27. **शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के साथ नियमित संवाद हेतु आरबीआई में एक नोडल अधिकारी नामित:** सहकारिता क्षेत्र की गहन समन्वयऔर केंद्रित संवाद हेतु काफी समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नोडल अधिकारी अधिसूचित किया है।

28. **शहरी सहकारी बैंकों के लिए पीएसएल लक्ष्य को 75% से घटाकर 60% करने से राहत:** आर.बी.आई. ने UCBs के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending, PSL) लक्ष्य को 75% तक कर दिया था, जिससे शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रही इन बैंकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अब शहरी सहकारी बैंकों (UCB) के लक्ष्य को 75% से घटाकर 60% कर दिया गया है जिससे उन्हे काफी राहत मिल पा रही है ।

29. **शहरी सहकारी बैंकों के लिए आवास ऋण सीमा 10% से बढ़ाकर 25% की गई:** शहरी सहकारी बैंकों के सदस्यों के लिए आवास ऋण सीमा को उनकी कुल परिसंपत्ति का 10% से बढ़ाकर ऋण एवं अग्रिम का 25% (रुपए 3 करोड़ तक) कर दिया गया है ।

30. **महिला ऋण पुनर्भुगतान के लिए 2 लाख रुपये के लक्ष्य को हटाकर 12% (दुर्बल वर्ग) की उप-सीमा में राहत:** दुर्बल वर्गों के लिए 12% की उप-सीमा के तहत महिला उधारकर्ताओं के लिए ₹2 लाख के लक्ष्य को हटाने से अब PSL का अनुपालन सरल हो गया है और यूसीबी को PSL दायित्वों को पूरा करने में अधिक प्रचालन स्वतंत्रता मिल पा रही है ।

31. **शहरी सहकारी बैंकों को राहत देते हुए 50% ऋण सीमा को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹3 करोड़ किया गया:** शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए ऋण और अग्रिमों के 50% की सीमा को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹3 करोड़ किया गया, जिससे उन्हें उधारकर्ताओं की उच्च ऋण मांगों को पूरा करने, व्यापार वृद्धि में मदद करने और खुदरा और SME ऋण क्षेत्रों में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने में सक्षमता प्राप्त हुई है ।

32. **स्वर्ण ऋण हेतु RBI द्वारा मौद्रिक सीमा दोगुनी की गई:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा PSL लक्ष्यों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों की मौद्रिक सीमा को 2 लाख रुपये से दोगुना कर 4 लाख रुपये कर दिया गया है ।

33. **शहरी सहकारी बैंकों के लिए अंब्रेला संगठन:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला संगठन (UO) की स्थापना हेतु मंजूरी दी, जिससे लगभग 1,500 शहरी सहकारी बैंकों को आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और प्रचालन सहायता प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है ।

34. **RBI ने सिक्युरिटी रीसिप्ट्स के लिए ग्लाइड पथ को वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक बढ़ा दिया है :** RBI ने दिनांक 24.02.2025 के परिपत्र के माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों में पूंजी और तरलता के बेहतर प्रबंधन के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (Non-performing Assets) का परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी के माध्यम से दो वर्ष के अतिरिक्त समय का प्रावधान किया है जिससे ये बैंक stressed परिसंपत्तियों के नुकसान को कम करने को अब सक्षम हैं ।

35. **सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों का वन टाइम सेटलमेंट करने की अनुमति:** सहकारी बैंक अब बोर्ड-अनुमोदित नीतियों के माध्यम से तकनीकी राइट-ऑफ करने के साथ-साथ उधारकर्ताओं के निपटान प्रक्रिया भी प्रदान कर पा रहे हैं ।

36. **उच्चतर आवास ऋण सीमाएं**- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवासन ऋण की सीमा को ढाई गुना बढ़ाकर 75 लाख रुपये किया और उन्हें रियल एस्टेट को कुल एक्सपोज़र के 5% तक ऋण देने के लिए सक्षम किया है ।

37. **सहकारी बैंकों में 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (AePS) के लिए लाइसेंस शुल्क घटाया गया**: सहकारी बैंकों को 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (AePS) में ऑनबोर्ड करने के लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से लिंक करके घटा दिया गया है । सहकारी वित्तीय संस्थानों को भी उत्पादन-पूर्व चरण में यह सुविधा पहले तीन महीनों में निःशुल्क प्राप्त है । इससे अब ऑनबोर्डेड बैंकों के सदस्य किसानों को बायोमेट्रिक्स द्वारा घर बैठे ही बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त हो पा रही हैं ।

38. **ऋण वितरण में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (UCBs),राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) को CGTMSE योजना में सदस्य ऋण संस्थान (MLI) के रूप में अधिसूचित किया गया:** सहकारी बैंक अब दिए जाने वाले ऋणों पर 85 प्रतिशत तक जोखिम कवरेज का लाभ उठा पाने को सक्षम हैं । इसके साथ ही सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी अब सहकारी बैंकों से कोलैटरल- मुक्त ऋण मिल सकेगा। क्रेडिट गारंटी योजना (CGS) के अधीन सदस्य ऋण संस्थानों (MLIs) के रूप में सहकारी बैंकों के पंजीकरण के लिए CGTMSE ने 5% सकल NPA या उससे कम को 7% सकल NPA या उससे कम पर रैशनलाइज किया है ।

39. **सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल का कार्यकाल** संविधान के अनुरूप (अधिकतम 10 लगातार वर्ष) करने के लिये बैंककारी विनियमन अधिनियम (Banking regulation Act) में संशोधन किया गया है ।

40. **प्राथमिकता क्षेत्र दिशानिर्देशों के तहत कृषि सहकारी समितियों (डेयरी) के लिए सीमा ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ की गई:** आरबीआई ने दिनांक 24.03.2025 के मास्टर निर्देश के द्वारा कृषि सहकारी समितियों (डेयरी) के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण सीमा को ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ किया । इस कदम से बैंक, कृषि सहकारी समितियों (डेयरी) को अधिक ऋण सहायता प्रदान कर सकेंगे जिससे कृषि अवसंरचना मजबूत होने को सक्षम है और ग्रामीण ऋण प्रवाह को बढ़ावा मिल रहा है ।

41. **सहकार सारथी (साझा सेवा निकाय):** ग्रामीण सहकारी बैंकों को तकनीकी सेवाएं प्रदान करने और उनके सशक्तीकरण के लिए आरबीआई ने सहकार सारथी (साझा सेवा निकाय) की स्थापना हेतु नाबार्ड को सैद्धांतिक अनुमोदन दी है ।

42. मंत्रालय द्वारा नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज (NAFCUB) के अंतर्गत **'शहरी सहकारी बैंकों एवं सहकारी ऋण समितियों के रूपांतरण तथा सुधार' पर एक टास्क फोर्स का गठन** किया गया है । इस टास्क फोर्स द्वारा दो रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं ।

43. मंत्रालय के अनुरोध पर **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) में सुधार, पुनर्गठन एवं नवाचार से संबंधित एक रिपोर्ट** प्रस्तुत की है ।

44. मंत्रालय ने IRMA के माध्यम से नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लि. **(NAFCARD) के लिए एक विस्तृत अध्ययन** पूरा किया है जिसका परिणाम एक अनुमोदित कार्ययोजना है जो ऋण विस्तारण, गैर-फार्म सेक्टर कार्यकलापों का प्रोत्साहन और सहकारी शासन के सशक्तीकरण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है ।

45. मंत्रालय ने **अमृत काल (2022-2047) में NAFSCOB की भूमिका को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक अध्ययन पूरा** किया है । यह सहकारी ऋण, डिजिटल एकीकरण, वित्तीय सेवाओं का विविधीकरण और संस्थागत सशक्तीकरण में सुधारों को दर्शाता है । शासन, राज्य-स्तरीय क्षमता निर्माण और समावेशी पहुंच पर जोर देते हुए यह रोडमैप, NAFSCOB की भूमिका को सहकारी बैंकिंग का नेतृत्व करने और भारत भर में संधारणीय ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने के लिए स्थापित करता है ।

ग. <u>सहकारी समितियों को आयकर अधिनियम में राहत</u>

46. **एक करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी समितियों के आयकर पर अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है**: इससे सहकारीसमितियोंपर आयकर का भार कम होगा और उनके पास अपने सदस्योंके हित के लिए कार्य करने हेतु अधिक पूंजी उपलब्ध होगा

47. **सहकारी समितियों के न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) को 18.5% से घटाकर 15% किया गया:** इस उपबंध से अब सहकारीसमितियोंऔरकंपनियोंकेबीचइस संबंध में समरूपता हो गई है ।

48. **आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत नकद लेनदेन में राहत:** आयकरअधिनियम कीधारा 269ST के अधीन सहकारी समतियों द्वारा नकद लेनदेन में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी कर यह स्पष्ट किया है कि किसी सहकारी समिति द्वारा अपने वितरक के साथ किसी एक दिन में किए गए 2 लाख रुपए से कम के नकद लेनदेन को पृथक माना जाएगा और उस पर आयकर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा ।

49. **नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर में कटौती:** सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 31.03.2024 तकविनिर्माणकार्य शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों से अधिभार के साथ 30% तक के पूर्व दर की तुलना में 15% का सपाट निम्न कर-दर लगाया जाएगा । इससे विनिर्माण के क्षेत्र में नई सहकारी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा ।

50. **प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (पैक्स) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (PCARDB) की नकद जमा राशि एवं भुगतान की सीमा में वृद्धि:** सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (पैक्स) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDB) द्वारा नकद जमा और एवं भुगतान की सीमा को प्रति सदस्य 20,000 रुपये से बढ़ा कर 2,00,000 रुपये कर दी गई है । इस उपबंध से उनके कार्यों को सुविधाजनक बनाएगा और उनके व्यवसाय में वृद्धि होगी तथा इन समितियों के सदस्य लाभान्वित होंगे ।

51. **प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (पैक्स) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (PCARDB) द्वारा नकद ऋण की सीमा और ऋण चुकौती की सीमा में वृद्धि:** सरकार ने प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद में दिए जाने वाले ऋण एवं उसकी चुकौती की सीमा को प्रति सदस्य ₹20,000 से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया है । यह प्रावधान उनके कार्यकलापों को सुगम बनाएगा, उनके व्यवसाय को बढ़ाएगा और समितियों के सदस्यों को लाभ पहुंचाएगा।

घ. <u>सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार</u>

52. **सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत**: सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी कर यह स्पष्ट किया है कि सहकारी चीनी मिलों को अप्रैल, 2016 से गन्ना किसानों को गन्ने के उच्च्तर मूल्य का भुगतान करने पर उचित एवं लाभकारी मूल्य या राज्य सलाह मूल्य तक कोई अतिरिक्त कर नहीं देना पड़ेगा ।

53. **सहकारी चीनी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लंबित समस्याओं का समाधान**: सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2023-24 में यह प्रावधान किया है कि सहकारी चीनी समितियों को आकलन वर्ष 2016-17 से पूर्व गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति होगी जिससे उन्हें 46,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की राहत मिलेगी ।

54. **सहकारी चीनी मिलों के सशक्तीकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपये की ऋण योजना:** सरकार ने NCDC के माध्यम से एथनॉल संयंत्र या कोजेनरेशन संयंत्र स्थापित करने या कार्यशील पूंजी के लिए या फिर तीनों प्रयोजनों के लिए एक योजना आरंभ की है । मंत्रालय ने इस योजना के अधीन NCDC को 1000 करोड़ रुपये (वित्तीय वर्ष 2022-23 में 500 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 500 करोड़ रुपये) जारी किया और NCDC ने 56 सहकारी चीनी मिलों को 10,005 करोड़ रुपये के ऋण संवितरित किए हैं ।

55. **एथनॉल की खरीद में सहकारी चीनी मिलों को प्राथमिकता:** भारत सरकार द्वारा एथनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम (EBP) के अधीन एथनॉल की खरीद में सहकारी चीनी मिलों को निजी कंपनियों के समरूप रखा गया है ।

56. **शीरा आधारित एथनॉल संयंत्रों को मल्टी-फीड एथनॉल संयंत्रों मे परिवर्तित करके सहकारी चीनी मिलों को सशक्त करना:** सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड (NFCSFL) के परामर्श से सहकारी चीनी मिलों (CSMs) के मौजूदा शीरा आधारित एथनॉल संयंत्रों को मल्टी-फीड एथनॉल संयंत्रों में परिवर्तित करने की एक पहल शुरू की है । सहकारी चीनी मिलें (CSMs) एथनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करके शीरा और शुगर सिरप से एथेनॉल का भी उत्पादन करती हैं । हालाँकि, एथनॉल के उत्पादन के लिए कच्चे माल अर्थात शीरा और शुगर सिरप की उपलब्धता कई कारणों से सीमित हैं, जैसे शुगर सिरप के डायवर्जन पर सरकारी नीति, एथेनॉल के उत्पादन के लिए B-heavy शीरा और गन्ना पेराई मौसम एवं वर्षा पर आधारित गन्ने की उपलब्धता, आदि । इन सीमित कारकों के कारण एथेनॉल संयंत्र वालें CSMs पूरे वर्ष अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पाती हैं । भारत सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए मक्का को प्राथमिकता दी है, इसलिए यह सहकारी चीनी मिलों के लिए उचित है कि वे अपने मौजूदा एथेनॉल उत्पादन संयंत्रों को मल्टी-फीड एथेनॉल उत्पादन संयंत्रों में बदलें ताकि वे मक्का को कच्चे माल के रूप में उपयोग करके एथेनॉल का उत्पादन कर सकें । जहां NCDC ने इस उद्देश्य हेतु ऋण प्रदान करने पर सहमति दी है वहीं DFPD ने विशेष रूप से सहकारी चीनी मिलों के लिए एक योजना शुरू की है, जिसके अधीन उनके ऋण पर 6% प्रति वर्ष या वास्तविक ब्याज का 50%, जो भी कम हो, की दर से 5 वर्षों की अवधि के लिए ब्याज अनुदान प्रदान की जाएगी । इसके अतिरिक्त, तेल विपणन कंपनियां (OMCs) उन सहकारी चीनी मिलों (CSMs) को एथेनॉल खरीद में प्राथमिकता-1 (Priority-1) देंगे जो ब्याज अनुदान योजना से लाभान्वित होंगे और एकल फीडस्टॉक से बहु-फीडस्टॉक की ओर रूपांतरित हो सकेंगे ।

57. **शीरा पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% किया गया:** सरकार ने शीरा पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है जिससे सहकारी चीनी मिलें डिस्टिलरियों को उच्चतर दरों पर शीरा की बिक्री करके अपने सदस्यों के लिए अधिक लाभ अर्जित कर सकेंगे।

58. **बंद सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार:** सहकारिता मंत्रालय के सुझाव पर इंडियन पोटाश लिमिटेड ने बंद सहकारी चीनी मिलों के पुनरुद्धार की पहल की है । दिनांक 08.03.2025 को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने श्री बिलेश्वर खांड उद्योग खेदुत सहकारी मंडली लिमिटेड, कोडिनार और श्री तलाला तालुका सहकारी खांड उद्योग मंडली लिमिटेड, तलाला के

पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण हेतु "भूमि पूजन" समारोह किया। इसके अतिरिक्त, इंडियन पोटाश लिमिटेड श्री वलसाड सहकारी ख ा ं ड उद्योग मंडली लिमिटेड, वलसाड के पुनरुद्धार के लिए भी कदम उठा रहा है । इन कदमों से उन क्षेत्रों के हजारों किसान लाभान्वित होंगे जहां उपरोक्त सहकारी चीनी मिलें स्थित हैं ।

ङ. <u>तीन नई राष्ट्र-स्तरीय बहुराज्य सहकारी समितियां</u>

59. प्रमाणित बीजों के लिए नई राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी समिति: सरकार ने बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन एक नई शीर्ष बहु-राज्य सहकारी बीज समिति, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की स्थापना की है। यह संस्था एक अंब्रेला संगठन के रूप में कार्य करेगी जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं और नीतियों का लाभ उठाकर प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) के माध्यम से दोनों पीढ़ियों के बीजों, अर्थात् बुनियादी (Foundation) और प्रमाणित (Certified) बीजों का उत्पादन, परीक्षण, प्रमाणन, खरीद, प्रसंस्करण, भंडारण, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग करेगी । BBSSL ने अपने बीज को 'भारत बीज' ब्रांड के अंतर्गत लॉन्च किया है । अब तक 22,995 PACS/सहकारी समितियां BBSSL की सदस्य बन चुकी हैं ।

60. जैविक कृषि के लिए नई राष्ट्रीय बहुराज्य ऑर्गेनिक सहकारी समिति: सरकार ने बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन एक नई शीर्ष बहु-राज्य सहकारी ऑर्गेनिक समिति, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) की स्थापना की है । यह संस्था एक अंब्रेला संगठन के रूप में कार्य करेगी जिसका उद्देश्य जैविक उत्पादों का संकलन, प्रमाणीकरण, परीक्षण, खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक सुविधाएं, विपणन हेतु संस्थागत सहयोग प्रदान करना है तथा अपने सदस्य सहकारी संस्थाओं (जिनमें PACS/FPOs शामिल हैं) के माध्यम से जैविक किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में सहायता करना के साथ ही भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और एजेंसियों की मदद से जैविक उत्पादों से संबंधित प्रोत्साहनात्मक और विकासात्मक कार्यकलापों को भी बढ़ावा देना है । अब तक 7,031 PACS/सहकारी समितियां NCOL की सदस्य बन चुकी हैं । NCOL ने अपने उत्पाद "भारत ऑर्गेनिक्स" ब्रांड नाम के तहत लॉन्च किए हैं । अब तक भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के तहत 25 जैविक उत्पाद (अरहर दाल, भूरा चना, चना दाल, काबुली चना, मसूर मलका, मसूर टूटा, मसूर साबुत, मूंग धुली, मूंग टूटा, मूंग साबुत, राजमा चित्रा, उड़द दाल, उड़द गोटा, उड़द टूटा, उड़द साबुत, गेहूं का आटा, गुड़ क्यूब, गुड़ पाउडर, ब्राउन शुगर, खांडसारी शुगर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मेथी, साबुत धनिया, एप्पल साइडर सिरका) दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उपलब्ध हैं । भारत ऑर्गेनिक्स के सभी उत्पादों का 100% बैच परीक्षण 245 से अधिक कीटनाशकों के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में किया जाता है ।

61. निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए नई राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति: सरकार ने बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन एक नई शीर्ष बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (NCEL) की स्थापना की है। यह संस्था एक अंब्रेला संगठन के रूप में कार्य करेगी, जिसका उद्देश्य भारतीय सहकारी क्षेत्र में उपलब्ध

अधिशेष उत्पादों का निर्यात करना है, ताकि देश की भौगोलिक सीमाओं से बाहर व्यापक बाजारों तक पहुंच बनाकर भारतीय सहकारी उत्पादों/सेवाओं की वैश्विक मांग को बढ़ाया जा सके और इन उत्पादों/सेवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल्य प्राप्त किया जा सके । यह समिति सहकारी संस्थाओं द्वारा उत्पादित सभी प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने हेतु खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रमाणन, अनुसंधान और विकास, आदि सहित विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से निर्यात को प्रोत्साहित करेगी । अब तक 9,425 PACS/सहकारी समितियां NCEL की सदस्य बन चुकी हैं । NCEL ने अब तक लगभग 13.09 लाख मीट्रिक टन (LMT) कृषि जिंसों जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का, चीनी, प्याज, जीरा, आदि का निर्यात किया है, जिसकी कुल अनुमानित मूल्य ₹5,397 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान NCEL द्वारा अपनी सदस्य सहकारी समितियों को 20% लाभांश प्रदान किया गया है ।

62. **बीज अनुसंधान केंद्र (BAK) की स्थापना:** माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने दिनांक 6 अप्रैल 2025 को गुजरात के कालोल में एक अत्याधुनिक बीज अनुसंधान केंद्र की आधारशिला रखी । यह "बीज अनुसंधान केंद्र" किसानों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में नवाचार और समावेशी विकास को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करेगा । इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (ICRISAT), इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO), और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) ने दिनांक 3 जून 2025 को इस केंद्र की स्थापना के लिए एक त्रिपक्षीय सेवा समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए हैं ।

63. **केले के लिए टिश्यू कल्चर सुविधाएं स्थापित करने की पहल:** केले की वर्षभर उपलब्धता, वहनीयता, स्वाद, पोषण मूल्य और औषधीय गुणों के कारण इसकी देश और विदेश, दोनों में अत्यधिक मांग है तथा इसके निर्यात की भी अपार संभावनाएं हैं । भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में केले के लिए टिश्यू कल्चर सुविधा (TCF) स्थापित करने का निर्णय लिया है । इन सुविधाओं के माध्यम से, BBSSL 'true to the type' मातृ पौधों का अनुरक्षण करेगा, टिश्यू कल्चर से तैयार केले के पौध/रोपण सामग्री का उत्पादन करेगा, और किसानों को 100% रोगमुक्त पौध/रोपण सामग्री वितरित करेगा । इससे किसानों को उच्च गुणवत्ता की रोपण सामग्री की उपलब्धता और उनकी आय में संधारणीय वृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी ।

64. **पारंपरिक प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन की पहल:** रसायन-मुक्त भारतीय पारंपरिक प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों की बढ़ती रुचि के चलते पारंपरिक प्राकृतिक बीजों की मांग में संभावित रूप से वृद्धि होगी । अतः, इन बीजों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और प्रचार-प्रसार के लिए समन्वित प्रयास की आवश्यकता है । "भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL)" ने खाद्यान्न, सब्जियों, फलों, आदि के बीजों तक सीमित न रहते हुए देशी पौधों की किस्मों के प्राकृतिक बीजों की पहचान करने और उनके संरक्षण, संवर्धन, प्रजनन, उत्पादन, वितरण, प्रचार-प्रसार तथा इससे संबंधित सभी कार्यकलापों के लिए एक प्रणाली विकसित करने की पहल की है । प्राकृतिक देशी बीजों के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में कार्यरत राज्य सरकारों एवं

तकनीकी संस्थानों से अनुरोध किया गया है कि वे BBSSL को इस महत्वपूर्ण कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने हेतु हर संभव प्रशासनिक, संस्थागत और तकनीकी सहयोग प्रदान करें ।

च. <u>सहकारी समितियों में क्षमता निर्माण</u>

65. **सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना:** सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहकारी क्षेत्र में "त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी (TSU) नाम से एक राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है । यह विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आणंद (IRMA) को परिवर्तित करके स्थापित किया गया है । इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है ।

इस संबंध में, "त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025" को लोकसभा में 26 मार्च 2025 तथा राज्यसभा में 1 अप्रैल 2025 को पारित किया गया । तत्पश्चात, माननीय राष्ट्रपति द्वारा 3 अप्रैल 2025 को विधेयक को स्वीकृति प्रदान की गई । इसके बाद, अधिनियम के प्रवृत्त होने और विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु राजपत्र अधिसूचना दिनांक 4 अप्रैल, 2025 को जारी की गई जिसके अनुसार विश्वविद्यालय की स्थापना 6 अप्रैल, 2025 से प्रभावी मानी गई ।

चूंकि विश्वविद्यालय की स्थापना एक पूर्व-स्थित संस्थान (IRMA) को परिवर्तित करके की गई है, अतः यह तत्काल प्रभाव से कार्यशील हो गया है । इसके साथ ही, विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति, कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है । विश्वविद्यालय के शासी बोर्ड और कार्यकारी परिषद का गठन भी कर दिया गया है और विश्वविद्यालय के परिनियम अधिसूचित कर दिए गए हैं ।

इसके अलावा, अतिरिक्त अवसंरचना निर्माण के लिए गुजरात सरकार द्वारा 50 वर्षों के पट्टे पर भूमि भी आबंटित कर दी गई है और दिनांक 5 जुलाई, 2025 को विश्वविद्यालय के नए भवन का शिलान्यास भी कर दिया गया है ।

इस विश्वविद्यालय के शीघ्र प्रचालन को गति देने के लिए सात समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां मंत्रालय के अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की अध्यक्षता में कार्य कर रही हैं तथा एक समिति की अध्यक्षता स्वयं TSU के कुलपति द्वारा की जा रही है ।

66. सहकारिता मंत्रालय ने AFC इंडिया लि. के माध्यम से नेशनल लेबर कोऑपरेटिव फेडरेशन (NLCF) पर एक व्यापक राष्ट्र-स्तरीय अध्ययन पूरा किया है जिसके द्वारा NLCF को बेहतर अवसंरचना, विविध सेवाओं और मजबूत प्रशिक्षण पहलों के साथ एक व्यवसाय-संचालित इकाई के रूप में स्थापित करने की रणनीतिक सिफारिशें की है ।

67. मंत्रालय ने अपने द्वारा किए गए उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रभाव आकलन अध्ययन पूरा कर लिया है, जिससे LINAC के माध्यम से सहकारी क्षेत्र के लचीलेपन और समावेशिता को और बढ़ाने के लिए कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि उत्पन्न होगी ।

68. सहकारिता मंत्रालय ने अमृत काल (2022-2047) के दौरान एनसीयूआई की विकास क्षमता का आकलन करने के लिए एक रणनीतिक अध्ययन शुरू किया है । एएफसी इंडिया लि. द्वारा संचालित इस अध्ययन का उद्देश्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 24 का अनुपालन सुनिश्चित करना, सहकारी शिक्षा का आधुनिकीकरण करना, 25 वर्षीय विकास रोडमैप तैयार करना और एनसीयूआई के शासन, आउटरीच, प्रशिक्षण अवसंरचना और देश भर में सहकारी क्षेत्र के विकास में उसकी भूमिका को मज़बूत करना है ।

69. सहकारिता मंत्रालय ने अमृत काल (2022-2047) के दौरान FISHCOPFED के व्यवसाय विकास को बढ़ावा देने के लिए एएफसी इंडिया लि. के माध्यम से एक राष्ट्रीय अध्ययन शुरू किया है । इसका लक्ष्य विविधीकरण, शासन सुधार, डिजिटल पहुंच और सहकारी सुदृढ़ीकरण के माध्यम से 25% वृद्धि हासिल करना है । छह राज्यों और हितधारकों के विभिन्न स्तरों को कवर करते हुए यह अध्ययन मात्स्यिकी सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण और देश भर में उनके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए रणनीतिक योजनाएं तैयार करेगा ।

70. **भारत में सहकारिता पर विशेष पाठ्यक्रम:** सहकारिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में एवं एनसीईआरटी के परामर्श से, एनसीसीटी ने सहकारिता पर एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया है, जिसका लक्ष्य स्कूली छात्रों को सहकारी समितियों की राष्ट्र निर्माण में भूमिका से अवगत कराना है, ताकि वे सहकारिता क्षेत्र को एक करियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें । यह विशेष पाठ्यक्रम एनसीईआरटी स्कूलों के माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए शुरू किया जाएगा।

71. **विद्यालयों में सहकारिता:** सहकारिता मंत्रालय के निर्देश पर एनसीसीटी के प्रयासों से, एनसीईआरटी ने कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में सहकारिता पर एक अध्याय शामिल किया है, जिससे छात्रों को सहकारी आंदोलन की मूलभूत जानकारी प्राप्त होगी।

72. **वित्तीय सुदृढ़ीकरण**: सहकारिता मंत्रालय द्वारा एनसीसीटी हेतु एक नया ऑब्जेक्ट शीर्ष 'सहायता अनुदान जनरल' खोला गया है, जिससे एनसीसीटी सहकारी प्रशिक्षण एवं शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों को निरंतरतापूर्वक कर सकेगा और सहकारिता को सशक्त करने के अपने मिशन को पूरा कर सकेगा । पूर्व में प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि 'प्रशिक्षण और विकास फंड (TDF)' से ली जाती थी, जो मूलतः भवन मरम्मत एवं अवसंरचना विकास के लिए है । चूंकि, यह लंबे समय तक व्यवहार्य नहीं था, अतः नए शीर्ष के खोले जाने से TDF पर दबाव कम होगा और वह अपने मूल उद्देश्य में प्रयुक्त हो सकेगा ।

73. एनसीसीटी के प्रत्येक संस्थान के लिए भवन अवसंरचना विकास कार्यों की समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु भवन उप-समिति का गठन किया गया है ।

74. **प्रशिक्षण और विकास फंड का उपयोग**: विभिन्न संस्थानों को उनके प्रशिक्षण विकास फंड/भवन फंड का उपयोग भवन अवसंरचना की मरम्मत/नवीनीकरण तथा अचल संपत्तियों (कार्यालय उपस्करों, आदि) की खरीद हेतु स्वीकृत किया गया ।

75. वैमनीकॉम, पुणे के मौजूदा अवसंरचना में एक नया तीन मंजिला अंतरराष्ट्रीय छात्रावास भवन शामिल किया गया है, जिसमें प्रतिभागियों के लिए 50 ट्विन-शेयरिंग कमरे एवं 3 वीआईपी सुइट्स हैं । छात्रावास में रसोईघर, भोजन कक्ष, वाचनालय, 50 सीटों की कक्षा, चर्चा कक्ष, व्यायामशाला तथा कार्यालय कक्ष भी हैं । यह भवन सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त ₹30 करोड़ की पूंजी अनुदान से निर्मित किया गया है।

76. **नया पाठ्यक्रम:** वैमनीकॉम द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025 के लिए एआईसीटीई, नई दिल्ली से संबद्ध 'पीजीडीएम- सहकारिता' का एक नया कार्यक्रम प्रारंभ करने की पहल की गई है जिसमें 30 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है । इस कार्यक्रम हेतु समूह चर्चा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार दिनांक 20 जुलाई 2025 को वैमनीकॉम, पुणे में किया जाना निर्धारित है ।

77. **पायलट परियोजना – पैक्स हेतु समग्र प्रशिक्षण:** पैक्स के सदस्यों, निदेशक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सचिवों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चार राज्यों के चार जिलों, अर्थात ऊना (हिमाचल प्रदेश), जोधपुर (राजस्थान), संबलपुर (ओडिशा) और थेनी (तमिलनाडु) में एक पायलट परियोजना चलाया गया । इस प्रशिक्षण में सहकारी समितियों की अवधारनाएं एवं लाभ, उपर्युक्त वर्णित सहकारी कार्मिकों की श्रेणियों की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व, आदर्श उपविधियां के साथ व्यवसाय विविधीकरण के अवसर, इत्यादि जैसे विषय शामिल किए गए । इस परियोजना के अधीन 4 राज्यों में 284 पैक्स से संबंधित कुल 85219 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया । इन प्रशिक्षणों के फोटो और सामग्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालकर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया ।

78. **सीएससी पोर्टल के लिए पैक्स हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम**: एनसीसीटी ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की सहभागिता से सीएससी पोर्टल पर ऑनबोर्ड हुए पैक्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए । इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य 30,000 पैक्स के सचिवों/कंप्यूटर ऑपरेटरों को सीएससी पोर्टल की 300 सेवाओं के माध्यम से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की व्यावसायिक कार्यकलापों में विविधता लाने के लिए प्रशिक्षित करना था। इसके तहत कुल 648 कार्यक्रमों का संचालन किया गया और 25 राज्यों के 564 जिलों से आए 30210 पैक्स प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया ।

79. **नवस्थापित बहुद्देशीय सहकारी समितियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम**: जुलाई 2025 माह में सहकारिता मंत्रालय के निर्देशानुसार एनसीसीटी ने नवस्थापित MPCS के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है । दिनांक 20.06.2025 की स्थिति के अनुसार देशभर में कुल 22283 एमपीसीएस स्थापित हुए हैं (एनसीडी पोर्टल के अनुसार) और सभी को प्रशिक्षण के अंतर्गत लाया जाएगा ।

80. **PMFBY/RWBCIS के अधीन क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम:** राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के फसल बीमा प्रभाग के बीच दिनांक 20.01.2025 को एक समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित किया गया है । इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य PMFBY/RWBCIS की योजनाओं के अधीन क्षमता निर्माण एवं ज्ञान प्रबंधन संरचना की व्यापक रूपरेखा तैयार करना है । तदनुसार, एनसीसीटी द्वारा 200 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और पैक्स के 10,000 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित

करने का प्रस्ताव कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत किया है जो वर्तमान में उनके पास विचाराधीन है ।

81. **शैक्षणिक जर्नल का प्रकाशन** – आरआईसीएम, चंडीगढ़ द्वारा 'सहकारिता अनुसंधान – एक बहुविषयक सामाज विज्ञान जर्नल' शीर्षक से एक द्वैवार्षिक समकक्ष-समीक्षित जर्नल का प्रकाशन सहकारिता एवं सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और ज्ञान प्रसार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है ।

82. **पीजीडीएम-एबीएम कार्यक्रम का पुन:प्रारंभ** – आरआईसीएम, चंडीगढ़ द्वारा एआईसीटीई द्वारा विधिवत अनुमोदित स्नातकोत्तर प्रबंध डिप्लोमा– कृषि व्यवसाय प्रबंधन (PGDM-ABM) कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ करने की पहल की गई है ।

छ. **‘सुगम व्यवसाय’ के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग**

83. **केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय का कंप्यूटरीकरण :** बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए डिजिटल परितंत्र के निर्माण हेतु केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय को कंप्यूटरीकृत किया गया है जो समयबद्ध रीति से आवेदनों और सेवा अनुरोधों के प्रोसेसिंग में सहायक सिद्ध हो रहा है।

84. **राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यलयों के कंप्यूटरीकरण की योजना:** राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सहकारी समितियों के पंजीयक के कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए एक केंद्रीय सरकार ने 06 अक्टूबर 2023 को एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना अनुमोदित किया है । इस परियोजना हेतु वर्ष 2023-24 से तीन वर्षों के लिए ₹94.59 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है । यह परियोजना "IT इंटरवेंशंस के माध्यम से सहकारी समितियों का सशक्तीकरण" की व्यापक योजना का हिस्सा है जिसे सहकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है । इस परियोजना का उद्देश्य सहकारी समितियों के लिए सुगम व्यवसाय में वृद्धि करना और सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सहकारी समितियों तथा RCS कार्यालयों के बीच पारदर्शी, कागज़रहित और डिजिटल परितंत्र का सृजन करना है । परियोजना के अधीन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को हार्डवेयर की खरीद, सॉफ्टवेयर का विकास, रखरखाव एवं उन्नयन, आदि के लिए सहायता अनुदान प्रदान की जा रही है । इस योजना के अधीन विकसित किया जाने वाला सॉफ्टवेयर संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारिता अधिनियमों के अनुरूप होगा । वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 (30 जून 2025 तक) के दौरान कुल 35 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं तथा केंद्रीय सरकार द्वारा ₹19.73 करोड़ की राशि राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को केंद्रीय हिस्से के रूप में जारी की गई है ।

85. **कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) का कंप्यूटरीकरण:** दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में फैले कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) की 1,867 इकाइयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को अनुमोदित किया गया है । नाबार्ड इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है । अब तक 10 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । इसके अलावा हार्डवेयर की खरीद, डिजिटलीकरण और सपोर्ट

सिस्टम स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भारत सरकार के हिस्से के रूप में 7.18 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

छ. <u>राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा उठाए गए कदम</u>

86. **ऋण संवितरण में वृद्धि:** NCDC द्वारा ऋण संवितरण वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹24,733.20 करोड़ से लगभग चार गुना बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹95,182.84 करोड़ हो गया है। NCDC ने इन चार वर्षों के दौरान संवितरण में 40% से अधिक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) हासिल की है।

87. **फ्लोटिंग ब्याज दर की शुरुआत:** NCDC ने वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फ्लोटिंग ब्याज दर की शुरुआत की है। इससे सावधि ऋण की ब्याज दर में लगभग 2% की कमी आई है। फ्लोटिंग ब्याज दर का मतलब है कि यह ब्याज दर बाजार के हालात और अन्य वित्तीय कारकों के आधार पर बदलती रहती है, जिससे उधार लेने वालों को कम ब्याज दर का लाभ मिलता है।

88. **डिफरेंशियल दर अपनाना:** NCDC ने डिफरेंशियल दर प्रणाली को अपनाया जिसके तहत विभिन्न ऋण उधारकर्ताओं के लिए अलग-अलग ब्याज दरों का निर्धारण किया जाता है। यह प्रणाली उधारकर्ताओं की वित्तीय स्थिति और उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए ऋण की दर को अनुकूलित करता है जिससे उधारकर्ताओं को अपनी स्थिति के अनुसार बेहतर दरों पर वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।

89. **CGTMSE, CGSFPO एवं CGFT-AHD के तहत पंजीकरण:** इस कदम से सहकारी समितियों को एनसीडीसी से संपार्श्विक मुक्त (कोलैटरल फ्री) ऋण प्राप्त करने में मदद मिलती है।

90. **NDDB और NCDC के बीच समझौता ज्ञापन:** NCDC और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के बीच वित्तपोषण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित हुआ है। इस समझौते के तहत दोनों संस्थान मिलकर डेयरी क्षेत्र में छोटे उत्पादकों को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो और डेयरी समितियों को मजबूती मिले।

91. **NCDC द्वारा अन्य ऋणदाताओं की बड़ी परियोजनाओं का मूल्यांकन:** NCDC ने अन्य ऋणदाताओं, जिनके पास अपेक्षित विशेषज्ञता नहीं है, की बड़ी परियोजनाओं का मूल्यांकन शुरू किया है। जैसे कि, NCDC ने गुजरात राज्य सहकारी बैंक के लिए तीन डेयरी परियोजनाओं का मूल्यांकन किया, जिसमें परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा और मूल्यांकन किया गया।

92. **भौगोलिक पहुंच का विस्तारण:** NCDC ने अपनी भौगोलिक पहुंच का विस्तारण करते हुए विजयवाडा (आंध्र प्रदेश) में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला और जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में नए उप-कार्यालय खोले।

93. **युवा पेशेवरों की नियुक्ति:** NCDC ने विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले युवा पेशेवरों (यंग प्रोफेशनल्स) को नियुक्त किया। इसमें 12 CA /CMA /इंटर, 31 MBA सहित अन्य युचा पेशेवर शामिल हैं। इस कदम से निगम की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है।

94. **सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (भारत का पहला सहकारिता आधारित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म):** सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड एक अभिनव, सहकारिता-आधारित मोबिलिटी समाधान है जिसे चालकों को सशक्त बनाने और जनता को किफायती, विश्वसनीय परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। सहकारिता, पारदर्शिता और साझा स्वामित्व के सिद्धांतों पर आधारित सहकार टैक्सी, पारंपरिक राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म का एक जन-केंद्रित विकल्प है। इस परियोजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) व सात अन्य संगठनों इफको, नेफेड, अमूल, कृभको, एनडीडीबी, एनसीईएल और नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित किया जा रहा है। इस परियोजना को "भारत टैक्सी" नाम दिया गया है।

95. **भारत सरकार द्वारा NCDC को सहायता अनुदान:** माननीया वित्त मंत्री द्वारा बजट 2025-26 भाषण में घोषित किया गया था कि भारत सरकार सहकारी क्षेत्र के लिए NCDC के ऋण कार्यों के लिए सहायता प्रदान करेगी। तदनुसार, व्यय वित्त समिति की दिनांक 09.06.2025 को आयोजित बैठक में NCDC को ₹2000 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा की गई। सरकार से 4 वर्षों के दौरान प्राप्त ₹2000 करोड़ के आधार पर NCDC बाजार से ₹20,000 करोड़ जुटाने में सक्षम होगा। इस निधि का उपयोग NCDC द्वारा डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन और वस्त्र जैसे सहकारी क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक और कार्यशील पूंजी ऋण देने के लिए किया जाएगा। इस प्रस्ताव को शीघ्र ही कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने का अनुमान है।

96. **सहकारी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित नई योजना:** NCDC के माध्यम से सहकारी समितियों के विकास के लिए CSISAC की तर्ज पर एक नई योजना तैयार की जा रही है। ₹24,000 करोड़ के परिव्यय के साथ योजना के अधीन 29,050 सहकारी समितियों तथा एक करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ मिल सकेगा।

97. **सहकारी प्रशिक्षु (कोआपरेटिव इंटर्न):** ग्रामीण सहकारी बैंकों (राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों) में 385 प्रशिक्षुओं की नियुक्ति की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य सहकारी संगठनों की समग्र क्षमता का विकास करना तथा जमीनी स्तर पर डिजिटल और व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना है। चयनित सहकारी प्रशिक्षु को मासिक ₹25,000 पारिश्रमिक दिया जा रहा है जिसकी प्रतिपूर्ति सहकारी शिक्षा कोष (CEF) से होती है। NCDC योजना के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है। अभी तक, 225 प्रशिक्षु चयनित किए जा चुके हैं।

ज. राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) का निर्माण

98. **प्रामाणिक और अद्यतित डेटा संग्रहण हेतु नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस:** राज्य सरकारों के सहयोग से देश में सहकारी समितियों का एक डेटाबेस विकसित किया गया है, जो देश भर में सहकारी समितियों से संबंधित कार्यक्रमों/ योजनाओं हेतु नीति निर्माण और कार्यान्वयन में

हितधारकों के लिए सहायक होगा । इस डेटाबेस में अब तक 30 विभिन्न क्षेत्रों की लगभग 8.4 लाख सहकारी समितियों का डेटा शामिल है, जिसमें लगभग 32 करोड़ सदस्य हैं ।

99. **सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क:** सरकार ने सहकारी समितियों का राज्य-वार और क्षेत्र-वार मूल्यांकन और रैंकिंग करने के लिए 24 जनवरी 2025 को सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया । रैंकिंग फ्रेमवर्क राज्य के RCS को प्रमुख मापदंडों जैसे ऑडिट अनुपालन, प्रचालन कार्यकलापों, वित्तीय प्रदर्शन, अवसंरचना और बुनियादी पहचान सूचना के आधार पर सहकारी समितियों के प्रदर्शन का आकलन करने में सक्षम बनाता है । राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के RCS, प्रारंभ में 7 प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् पैक्स, डेयरी, मत्स्य पालन, शहरी सहकारी बैंक, आवास, क्रेडिट और थ्रिफ्ट और खादी एवं ग्राम उद्योग की सहकारी समितियों की रैंकिंग जेनरेट कर सकते हैं । इस रैंकिंग प्रणाली का उद्देश्य सहकारी समितियों के बीच पारदर्शिता, विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करना है जिससे अंततः उनके विकास को बढ़ावा मिलेगा । इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उद्देश्यों के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियों को सहकारिता मंत्रालय और संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के अधिकारियों द्वारा मान्यता और सम्मान दिया जाएगा ।

100. **राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए एनसीडी पोर्टल से एपीआई के माध्यम से डेटा प्राप्त करने की सुविधा:** सहकारिता मंत्रालय ने राज्य की सहकारी समितियों के संपूर्ण डेटा को एनसीडी पोर्टल से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए एक मानक एपीआई का विकास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है । सुरक्षित एपीआई एक्सेस के लिए एक विस्तृत मानक एपीआई विनिर्देश दस्तावेज, डेटाबेस स्कीम और राज्य-विशिष्ट एक्सेस कुंजी दिनांक 27.05.2025 को सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के सहकारी समितियों के पंजीयक (आरसीएस) कार्यालयों के साथ साझा की गई है । ये दस्तावेज़ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के आरसीएस के अनुप्रयोगों को राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल के साथ एकीकृत करने में सहायता करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं, ताकि एपीआई -आधारित एकीकरण के माध्यम से एनसीडी पोर्टल पर डेटा का अद्यतन स्वचालित रूप से और रियल-टाइम में हो सके । एकीकरण योजना के अनुसार, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए एनसीडी पोर्टल से संबंधित डेटा को अपने स्थानीय सिस्टम/आरसीएस पोर्टल पर लाने के लिए अपने स्तर पर एक रिवर्स/पुल एपीआई विकसित करना भी आवश्यक है ।

झ. <u>नीति और आउटरीच</u>

101. **राष्ट्रीय सहकारिता नीति (NCP)** सहकारिता मंत्रालय की "सहकार से समृद्धि" के अधिदेश को पूरा करने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार करने की परिकल्पना की गई है । नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार करने के लिए सहकारी क्षेत्र की वास्तविक क्षमता को प्रकट करने की संरचना प्रदान करने हेतु दिनांक 02.09.2022 को श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु केअधीन सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों, राष्ट्रीय/राज्य/जिला/प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सचिव (सहकारिता) एवं सहकारी समितियों के पंजीयकों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों, इत्यादि के साथ एक राष्ट्र-स्तरीय समिति का गठन किया गया था । इस समिति ने हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए देशभर में चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं

आयोजित कीं । प्राप्त सुझावों को उपयुक्त रूप से प्रारूप नीति में शामिल कर लिया गया है । तत्पश्चात, 24.7.2025 को राष्ट्रीय सहकारिता नीति का शुभारंभ किया जा चुका है ।

102. भारत में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष – 2025: संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को "अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC 2025)" घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और संधारणीय विकास में सहकारी संस्थाओं की भूमिका को उजागर करना है । इस अवसर पर सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी क्षेत्र के सभी हितधारकों के सहयोग से एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है जिसमें पारदर्शिता, नीतिगत सुधारों और PACS के माध्यम से ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन पर बल दिया गया है । यह कार्य योजना दिनांक 24 जनवरी 2025 को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा लॉन्च की गई । योजनाबद्ध और समन्वित कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय ने IYC-राष्ट्रीय सहकारी समिति, IYC-राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति, और IYC-राज्य स्तरीय शीर्ष समितियों का गठन किया है । इसके अलावा, IYC से संबंधित कार्यकलापों को राज्य एवं जिला सहकारी विकास समितियों (SCDC और DCDC) के कार्य क्षेत्र में भी शामिल किया गया है ।

IYC-2025 के दौरान व्यापक जन-जागरुकता और प्रचार-प्रसार अभियान चलाए गए हैं जिनके माध्यम से भारतीय रेलवे की ई-टिकटों, सहकारी उत्पादों के पैकेजिंग, आधिकारिक वेबसाइटों और सरकारी पत्राचार में IYC के लोगो को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है । प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की पहलों में 30 जून, 2025 को राज्य सहकारिता मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का सफल आयोजन और 6 जुलाई, 2025 को गुजरात के आणंद में सहकारिता मंत्रालय के चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन शामिल है । "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत एक विशेष वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है जिसमें सभी संबंधित भागीदार सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं । इसके अतिरिक्त, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों तथा सहकारी जागरुकता अभियानों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि IYC 2025 को सहकारी आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष के रूप में स्थापित किया जा सके ।

103. मंत्रालय की मीडिया आउटरीच का सशक्तीकरण : विगत चार वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी क्षेत्र के बारे में जन सहभागिता और जागरुकता वर्धन के लिए अपने डिजिटल और मीडिया पहुंच को उल्लेखनीय रूप से सशक्त किया है । पारंपरिक और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों का लाभ उठाते हुए मंत्रालय ने पीआईबी की सहभागिता से प्रेस विज्ञप्तियां और प्रमुख समाचार पत्रों में लेखों का लगातार प्रकाशन किया है, और साथ ही सोशल मीडिया पर भी अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है । माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित सभी राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है । प्रेस विज्ञप्तियां, समाचार अपडेट और उपलब्धियां नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर साझा की जाती हैं, और व्यापक समावेशन के लिए बहुभाषी पहुंच भी उपलब्ध है ।

आज, मंत्रालय के सभी प्लेटफॉर्म—जिनमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन और व्हाट्सएप शामिल हैं—के कुल फॉलोअर्स/सब्सक्राइबर 6 लाख से ज़्यादा हैं, और यूट्यूब पर कुल वीडियो व्यूअरशिप 1.4 करोड़ से ज़्यादा है। गौरतलब है कि यूट्यूब पर सहकारिता मंत्रालय सभी मंत्रालयों में चौथे स्थान पर और वेबसाइट एंगेजमेंट और ट्रैफ़िक में सातवें स्थान पर है, जो इसके बढ़ते डिजिटल प्रभाव को दर्शाता है। विशेष अभियानों और ऐतिहासिक पहलों पर पोस्ट, खासकर प्रमुख आयोजनों और राष्ट्रीय समारोहों के दौरान, लगातार उच्च जुड़ाव प्राप्त करते हैं ।

104. **मासिक प्रकाशन के माध्यम से सहकारी जागरुकता को प्रोत्साहन:** सहकारिता क्षेत्र में पहुंच, जागरुकता और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता मंत्रालय अप्रैल 2023 से दो मासिक पत्रिकाएं—सहकार उदय (इफको के माध्यम से) और सहकार जागरण (एनसीयूआई के माध्यम से) प्रकाशित कर रहा है। हिंदी, अंग्रेजी और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित ये पत्रिकाएं मंत्रालय और व्यापक सहकारी आंदोलन की प्रमुख नीतियों, योजनाओं, पहलों और सफलता की कहानियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती हैं । सहकार उदय की मासिक लगभग 3 लाख प्रतियां प्रकाशित हो रही हैं, जबकि सहकार जागरण की मासिक प्रसार संख्या लगभग 2.75 लाख है । ये प्रकाशन समयबद्ध, प्रासंगिक और प्रेरणादायक सामग्री प्रदान करके जमीनी स्तर पर सहकारी सदस्यों को सूचित और सशक्त बनाने में मदद करते हैं ।

ट. <u>बहुराज्य सहकारी समितियां</u>

105. **बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023:** बहुराज्य सहकारी समितियों में 97वें संविधान संशोधन के उपबंधों को अंतर्विष्ट करने और शासन सशक्त करने, पारदर्शिता व उत्तरदायित्व बढ़ाने, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन किया गया है ।

106. **सहकारी ऑम्बुड्समैन:** बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन के पश्चात् सहकारी ऑम्बुड्समैन को उक्त अधिनियम की धारा 85क द्वारा दिनांक 05.03.2024 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त किया गया है । ऑम्बुड्समैन कार्यालय पूर्णरूपेण कार्यशील है और बहुराज्य सहकारी समितियों के सदस्यों की जमाराशियों, कार्यरत बहुराज्य सहकारी समितियों के न्यायोचित लाभ या संबंधित सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित रने वाले किन्हीं अन्य मुद्दों से संबंधित शिकायतों या अपीलों पर कार्य करता है ।

107. **सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण (CEA):** बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन के पश्चात् सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को शासन सशक्तीकरण और उत्तरदायित्व के लिए स्थापित किया गया है जिसे सभी बहुराज्य सहकारी समितियों में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराने हेतु अधिदेश प्राप्त है । जून 2025 तक, 135 से अधिक बहुराज्य सहकारी समितियों में सफलतापूर्वक निर्वाचन करवाए गए हैं ।

108. **GeM पोर्टल पर सहकारी समितियों को 'क्रेता' शामिल करना**: सरकार ने सहकारी समितियों को GeM पर 'क्रेता' के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति प्रदान कर दी है जिससे वे

किफायती खरीद एवं अधिक पारदर्शिता के साथ लगभग 67 लाख वेंडरों से माल और सेवाओं की खरीद कर सकेंगे । GeM पोर्टल पर 'क्रेता' के रूप में अब तक 574 सहकारी समितियां ऑनबोर्ड हो चुकी हैं ।

109. **सहारा समूह की समितियों के निवेशकों को रिफंड:** सहारा समूह की सहकारी समितियों के वैध जमाकर्ताओं को पारदर्शी रीति से भुगतान करने हेतु एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है । उनकी जमाराशि और दावों के साक्ष्य की प्रस्तुति एवं उचित पहचान के पश्चात् संवितरण का कार्य आरंभ हो चुका है । अब तक, 22.56 लाख आवेदकों को 4548.09 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया है ।

ठ. <u>अन्य पहले</u>

110. **पारंपरिक स्विगी इंस्टामार्ट के क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहकारी उत्पादों की बाजार पहुंच को बढ़ाना:** सहकारिता मंत्रालय ने भारतीय सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने और 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने के लिए सहकारी उत्पादों के डिजिटल और बाजार एकीकरण को बढ़ाने, नीतिगत चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने और उपभोक्ता जुड़ाव को प्रोत्साहित करने हेतु दिनांक 25.04.2025 को स्विगी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया है । इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सहकारिता मंत्रालय और स्विगी के बीच एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करना है, ताकि विशेष रूप से डेयरी और ऑर्गेनिक क्षेत्रों में सहकारी उत्पादों के लिए डिजिटल एकीकरण और बाजार पहुंच को बढ़ाया जा सके और साथ ही डिजिटल मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स और उपभोक्ता तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं की क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके । समझौता ज्ञापन के अंतर्गत प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

I. सहकारिता मंत्रालय की सहभागिता से स्विगी, भारत में सहकारी आंदोलन/संगठनों/उत्पादों के लिए जागरुकता अभियान चलाएगा ।

II. सहकारी समितियों के लिए स्विगी की इंस्टामार्ट प्लेटमॉर्म के माध्यम से सहकारी डेयरी उत्पादों को अपने प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड करके प्राथमिकता पर एक्सेस प्रदान करेगा।

III. सहकारिता मंत्रालय की सहभागिता से स्विगी, सहकारी ब्रांडों को मार्केटिंग, प्रचार-प्रसार, उपभोक्ता तकनीक और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में समर्थन प्रदान करेगा ।

IV. स्विगी अपने प्लेटफॉर्म पर एक अलग "सहकारी श्रेणी" बनाएगा, जिसमें सहकारी संगठनों द्वारा प्रोत्साहित उत्पादों जैसे कि ऑर्गेनिक, डेयरी, श्रीअन्न (मिलेट्स), हस्तशिल्प, आदि को शामिल किया जाएगा ।

V. यह पहल डिजिटल पहुंच को बेहतर बनाएगी, सहकारिताओं के लिए संधारणीय विकास के अवसर सृजित करेगी, डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहकारी संस्थाओं का अधिकतम प्रभाव सुनिश्चित करेगी, और आपसी सहमति से संचालित परियोजनाओं के माध्यम से संगठनों की क्षमता निर्माण को भी बढ़ावा देगी ।

111. सहकारिता मंत्रालय जन शिकायतों के प्रभावी एवं समयबद्ध निवारण के लिए प्रतिबद्ध है । 2023-2024 के दौरान सहकारिता मंत्रालय ने CPGRAMS पोर्टल के माध्यम से प्राप्त 31,000 से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया है, जिसकी औसत निस्तारण अवधि केवल 2 दिन रही है, जो कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में सबसे कम है।

112. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अधिनियमन के पश्चात सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी शिक्षा निधि (CEF) खाते को NCUI से सहकारिता मंत्रालय सफलतापूर्वक हस्तांतरित किया है और इसके प्रबंधन और उपयोग के लिए एक समर्पित संरचना स्थापित की है।

113. **डेयरी क्षेत्र में संधारणीयता और चक्रीयता:** श्वेत क्रांति 2.0 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य डेयरी क्षेत्र में संधारणीयता और चक्रीयता को बढ़ावा देना है । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डेयरी मूल्य श्रृंखला में संधारणीयता और चक्रीयता को एकीकृत किया जाएगा जिसके अंतर्गत जलवायु-स्मार्ट तरीकों को अपनाना, संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना और नवीकरणीय समाधानों के माध्यम से कम उत्सर्जन वाले, आय सृजन करने वाले परितंत्र का निर्माण करना शामिल है । माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने इस विषय पर दिनांक 03.03.2025 को एक कार्यशाला का उद्घाटन किया । डेयरी क्षेत्र में संधारणीयता और चक्रीयता हेतु कार्य "कचरे से कंचन (Gold out of Garbage)" की परिकल्पना से प्रेरित है । इस पहल के तहत, निम्नलिखित कार्यों के लिए तीन बहु-राज्य सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी :

i. पशु आहार उत्पादन, रोग नियंत्रण और कृत्रिम गर्भाधान के लिए ।

ii. गाय और भैंस के गोबर के प्रबंधन के लिए ।

iii. मृत मवेशियों और भैंसों की खाल, हड्डियां और सींगों के प्रबंधन के लिए।

114. **सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (SPCDF) की स्थापना:** माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा दिनांक 06.07.2025 को सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (SPCDF) नामक एक नई बहु-राज्य सहकारी संस्था का शुभारंभ किया गया, जिसकी प्रारंभिक पूंजी ₹200 करोड़ है । SPCDF से 20 राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना) के 20,000 से अधिक गांवों के 20 लाख से अधिक डेयरी किसान एक संगठित सहकारी संरचना के प्रत्यक्ष सदस्य बन सकेंगे । SPCDF के माध्यम से किसानों को दुग्ध की सुनिश्चित खरीद, बेहतर पशु चिकित्सा देखभाल, पशुओं के पोषण में वृद्धि, और आधुनिक डेयरी तकनीकों का लाभ प्राप्त होगा । मजबूत शीत श्रृंखला अवसंरचना, शीतालन केंद्रों और कुशल प्रसंस्करण सुविधाओं में निवेश से गुणवत्ता मानकों को और अधिक मजबूती मिलेगी और सुरक्षित, स्वच्छ डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी ।

****